



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
16 <sup>09</sup> / <sub>2020</sub>	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सरस्वती लकड़ा, पिता/पति-स्व० जूगू लकड़ा, ग्राम-डिलियामार्चा, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-नगरपालिका वार्ड नं०-01, थाना नं०-644, खाता नं०-60, प्लॉट नं०-594, रकवा -0.1एकड़, भूमि क्रेता सेलाय बिरुली, पिता/पति-स्व० लागो बिरुली, ग्राम-उलीहातु, थाना-मुफसिल, जिला प० सिंहभूम के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक स्वयं के से नामान्तरण मुकदमा सं०-364/2001-02 द्वारा नामान्तरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 890, दिनांक 10.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में उक्त भूमि मौजा डिलियामार्चा के अन्तर्गत आता है। झारखण्ड सरकार के अधिसूचना के 3034 दिनांक 03.09.2011 के द्वारा नगर पर्षद सीमा से बाहर कर दिया गया है। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण एवं देन परिदेन हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता सेलाय बिरुली, पिता/पति-स्व० लागो बिरुली, ग्राम-उलीहातु, थाना- मुफसिल, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में उक्त भूमि मौजा डिलियामार्चा के अन्तर्गत आता है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 1.60 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक सरस्वती लकड़ा, पिता/पति-स्व० जूगू लकड़ा, ग्राम-डिलियामार्चा, थाना-मुफसिल, जिला प० सिंहभूम ने क्रेता सेलाय बिरुली, पिता/पति-स्व० लागो बिरुली, ग्राम-उलीहातु, थाना-मुफसिल, जिला प० सिंहभूम के पास 20,00,000.00 (बीस लाख) रूपया में मौजा- नगरपालिका वार्ड नं०-01, थाना नं०-644, खाता नं०-60, प्लॉट नं०-594, रकवा -0.11एकड़, भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की.....<sup>अनुमति</sup> दी जाती है।</p> <p>लेखापित    भूमि सुधार उपसमाहर्ता  सदर चाईबासा।</p> <p>  भूमि सुधार उपसमाहर्ता  सदर चाईबासा</p>	